न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 26 / 2022 तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारनाडूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. कुरशीद पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर
2. नूरजहां पत्नि स्व0 जलालुद्दीन जाति मुसलमान नि0 पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर
3. मुख्त्यार पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर
4. मगरूमुर्रहमान पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान नि0 पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 19/1/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण कुरशीद पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर, नूरजहां पत्नि स्व0 जलालुद्दीन जाति मुसलमान नि0 पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर, मुख्त्यार पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं मगरूमुर्रहमान पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान नि0 पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी में आदेश दिनांक 06 / 06 / 2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 पर भू.अ.निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है। पुनश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 किस्म बारानी–3 वाके ग्राम पीलवा नदी में आदेश दिनांक 06/06/2002 को आवंटन किया गया था। उनका पक्षकार जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ख0नं0 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 पर काश्तकार के रूप में काबिज है। पटवारी हल्का चक बिलोली द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। पुनःश्च वकील अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर की रिपोर्ट दिनांक 16.11.2022 के अनुसार भी ख0नं0 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण कुरशीद पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर, नूरजहां पत्नि स्व0 जलालुद्दीन जाति मुसलमान नि0 पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर, मुख्त्यार पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं मगरूमुर्रहमान पुत्र जलालुद्दीन जाति मुसलमान नि0 पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 992 रकबा 0.01, 993 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी होना अंकित किया है लेकिन उप जिला कलेक्टर मलारनाडूंगर से प्राप्त मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का चक बिलोली ने ख0नं0 992 रकबा 0.01 वाके ग्राम पीलवा नदी पर गैरखातेदारान के भाईयों का कब्जा होना तथा ख0नं0 993 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी पर गैरखातेदारान ने सरसों की फसल काश्त करने की रिपोर्ट पेश की है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा आवंटी के कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने संबधी रिपोर्ट निराधार प्रतीत होती है। अतः तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:34 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर